GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी,
1. जिला शिक्षा अधिकारी।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
3. जिला परियोजना समन्वयक।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांकः– KW 39/40-2020 ACD (4)
दिनांकः– 26.11.2025

विषयः **सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर–शैक्षणिक कार्य नहीं सौंपने के सम्बन्ध में।**

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को अनेक प्रकार के गैर–शैक्षणिक कार्य सौंपे जा रहे हैं। कुछ अध्यापक तो पिछले कई वर्षों से निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत हैं, कुछ को उप–मंडल स्तर पर निरन्तर गैर–शैक्षणिक कार्यों में लगाया गया है। इस बारे में सभी को ज्ञात होना चाहिए कि यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) 2009 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, RTE Act की धारा 27 के अनुसार विद्यालयों के अध्यापकों को किसी भी प्रकार का गैर–शैक्षणिक कार्य नहीं सौंपा जा सकता (सिवाय उन कार्यों के जिन्हें अधिनियम में विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है) तथा RTE Act के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी तथा अध्यापक को 220 शैक्षणिक दिवसों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना अनिवार्य है। अध्यापकों की विद्यालय से अनुपस्थिति विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है जिससे learning poverty बढ़ती है, जो एक राष्ट्रीय क्षति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा SDG-2034 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि सभी अध्यापक विद्यालय में उपस्थित रहकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और राष्ट्र–निर्माण के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार करने में योगदान दें। इसके लिए विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है कि:–

1. **सभी अध्यापकों की तत्काल गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्तिः**– ऐसे अध्यापक जो शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यालयों में किसी भी प्रकार के गैर–शैक्षणिक कार्यों में तैनात हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से, बिना किसी विलम्ब के कार्य मुक्त किया जाए। वार्षिक परीक्षाएँ निकट हैं, अतः विद्यार्थियों को उनके अध्यापकों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। अध्यापक का सर्वोच्च कर्त्तव्य शिक्षण कार्य है, इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं।
2. **भविष्य में गैर–शैक्षणिक कार्य सौंपने की प्रक्रिया**, किसी भी जिला/उपमण्डल स्तरीय कार्यालयों द्वारा निदेशालय की लिखित अनुमति के बिना न की जाए। यदि किसी जिले में कोई अत्यन्त आवश्यक कार्य हो, जो RTE Act में छूट प्राप्त कार्यों के दायरे में आता हो, तो ऐसी बैठक जिसमें अध्यापकों की ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया गया है, उसकी कार्यवाही (Minutes of Meeting) एवं विस्तृत विवरण सहित

प्रस्ताव निदेशालय को भेजा जाए तथा निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही ऐसे कार्य हेतु अध्यापक की तैनाती की जा सकेगी।

3. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भविष्य में विद्यालय समय के दौरान किसी भी प्रकार की बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। यदि अति आवश्यक हो तो बैठकें Online आयोजित की जाएं।

आपसे आग्रह किया जाता है कि इस पत्र को सभी सम्बन्धित अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं विद्यालयों तक तुरंत प्रसारित करें। सभी अध्यापकों एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों जो शिक्षा विभाग के कार्यालय के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यालयों में तैनात हैं, उन्हें तुरंत विद्यालय में ज्वाइन करवाएं। विद्यार्थियों में आगामी परीक्षाओं की तैयारी सुनिश्चित करें। निर्देशों का पालन न होने पर सम्बन्धित कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा एवं वेतन जारी करने की स्थिति में सम्बन्धित DDO उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट निदेशालय की RTE शाखा को भेजी जाए। बच्चों की शिक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता है तथा विकसित भारत निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य शिक्षण कार्य है जिसे सबसे पहले और सर्वोपरि रखा जाए।

26.XI.2025

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः **दिनांक, पंचकूला 26.11.2025**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. वरिष्ठ सचिव, माननीय स्कूल शिक्षा मन्त्री, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. निजी सहायक, माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. निजी सचिव, माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
5. राज्य के सभी मण्डलायुक्त।
6. राज्य के सभी आयुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त।

26.XI.2025

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला